

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
16.10.2025	<p>राज्य की ओर से लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण बर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्य अभियोजन पक्ष में गवाह राजूराम, पी0डब्ल्यू. 01 हाजिर आया, जिनके बयान लेखबद्ध किये गये। अन्य कोई गवाह उपस्थित नहीं है। गवाह झीमों देवी का जारीशुदा सम्मन बाद तामिल लौटा है, फिर भी उक्त गवाह उपस्थित नहीं हुआ है। अतः गवाह झीमों देवी को जमानती वारण्ट रूपये 1,000/- से तलब किया जावे। पत्रावली अन्य गवाह की साक्ष्य हेतु पूर्व मुकर्र दिनांक 07.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़मेर (राज.)</p>	<p>परकाशगिरी बगतगार</p>
7.10.2025	<p>राज्य की ओर से लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण बर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्य अभियोजन पक्ष में गवाह संख्या 6, 7 एवं 8 की तलबी जारी नहीं की गई है, इस सम्बन्ध में लिपिक को सख्त हिदायत दी जाती है कि आयन्दा आवश्यक रूप से उक्त गवाहान् की तलबी जारी करें। साक्ष्य अभियोजन पक्ष में गवाह झीमों देवी को जरिये सम्मन दिनांक 06.10.2025 के लिए तलब किया गया था, लेकिन उक्त गवाह आज न्यायालय में उपस्थित, जिन्हें आगामी पेशी के लिये पाबन्द किया गया। अन्य गवाह संख्या 5 को जरिये सम्मन दिनांक 16.10.2025 के लिए व गवाह संख्या 6, 7 व 8 को जरिये सम्मन दिनांक 17.10.2025 के लिए तलब किया जावे एवं सम्मन पर इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है एवं तामिल हर सूरत में करवाई जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य पैरवी दिनांक 16.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़मेर (राज.)</p>	<p>बगतगार परकाशगिरी झीमों देवी</p>